



2026:AHC:26880

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3351 / 2026

महिमा व अन्य .

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ओम प्रकाश पाण्डेय, विजय कुमार शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्तागण द्वारा मांगी गई मुख्य राहत तहसीलदार, तहसील हाटा, जनपद कुशीनगर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के तहत मुकदमा संख्या 6763 / 2024, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या T202405440206763 (महिमा व अन्य बनाम रामचंद्र) को निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) निम्नानुसार है:-

"(7). तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित मामले को मामला दर्ज होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।"
5. यह आगे तर्क दिया गया है कि हालांकि उपरोक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका तहसीलदार, तहसील हाटा, जनपद कुशीनगर को उपरोक्त मामले को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार निस्तारित करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

6 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"